

डिग्री इमुकदमें ईबादाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी

पीठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या-203/2019

1. जसवीर सिंह पुत्र महेन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी 3 केएसपी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़। वादी

बनाम्

1. बलविन्द्रसिंह उर्फ महेन्द्रसिंह पुत्र अजायबसिंह जाति जटसिख निवासी 3 केएसपी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

2. लखवीरसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी 3 केएसपी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष चास्ते इनफिसाल कर्तई रोबरु हमारे बहाजरी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग चकील वादी मिन जानिन मुदई श्री महावीरप्रसाद वर्मा प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि चकनं० 3 केएसपी के खाता सं० 58 में अंकित कुल 3.314 है० भूमि में से प्रतिवादीसं० 1 के 1/2 हिस्सा की भूमि में से 1.530 है० भूमि का वादी जसवीरसिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चकनं० 3 केएसपी के खाता सं० 58 में से प्रतिवादीसं० 1 का हिस्सा कम कर शेष हिस्सा प्रतिवादीसं० 1 का बदस्तुर रखे जाने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दशमद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत.....निल.....खर्चा
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ...
.....अदा करें।

बसबत मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 03.09.2019 को जारी किया गया।

(मीनू वर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी